"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/2006/20-एक.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-04-2006 द्वारा छत्तीसगढ़ बी. एड. प्रवेश नियम 2006 बनाया गया है. उक्त नियम में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 2 के उपनियम (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय—
   (ज) "ऑनलाइन आवंटन" से अभिप्रेत है कि प्री.बी.एड. प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो बी. एड. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें बी. एड. पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आवंटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं. ऐसे उम्मीदवारों को प्री.बी.एड. परीक्षा प्रावीण्यता, महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन किया जाता है.

2. नियम 3 के उपनियम (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायें—
   (क) प्री.बी.एड. परीक्षा-सामान्यतया बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.बी.एड. की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से दिया जायेगा.

3. नियम 4 के उपनियम (ख) में काउंसलिंग शब्द के स्थान पर "ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने" स्थापित किया जाये.

4. नियम 8 एवं उसके समस्त उपनियमों को विलोपित कर निम्नलिखित नियम व उपनियम प्रतिस्थापित किया जाये—

8. **ऑनलाइन आवंटन—**

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आवंटन विधि से किया जावेगा.

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों तथा 350/- रु. (अक्षरी- तीन सौ पचास रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय, के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे. इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी.

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे.

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं.

(ङ) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आवंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.बी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा.

(च) सीट आवंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी. सीट्स आवंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी.

(छ) ऑनलाइन आवंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आवंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आवंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आवंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा. पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आवंटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा. पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा.

(ज) महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा. अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा. ऑनलाइन आवंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**नंदकुमार**, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 5-5/2006/20-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**नंदकुमार**, सचिव.

Raipur, the 1st April 2010

NOTIFICATION

No. F 5-5/2006/20-I.— Chhattisgarh B.Ed. Pravesh Rule 2006 is made by even number departmental Notifi-

cation date 20-04-2006. State Government hereby makes the following amendment in the above rules, namely :—

AMENDMENT

1. After sub-rule (g) of rule-2 the following sub-rule be established :—
   (h) Online Allotment means such candidates in the merit list of B.Ed. Entrance test who fulfill all qualifications to B. Ed. courses and who expect to get admission to the B. Ed. course in colleges may fill online option forms in the prescribed centres. Such candidates shall be allotted colleges on the basis of merit of pre B. Ed. examination, vacancy of seats in the colleges and the option filled by them.

2. Following sub rule is established by deleting Sub-rule (a) of rule 3.
   (a) Pre B. Ed. Exam-Generally the admission to B. Ed. courses will be given on the basis of merit list of pre B. Ed. test through online allotment.

3. Filling online forms should be substituted in place of Counseling, in sub-rule (b) of rule 4.

4. The rule 8 and all its sub-rules are deleted and the following rules and sub-rules are established.

**8. Online allotment**

(a) After the declaration of the merit list the admission in the institutions shall be done through online allotment procedure.

(b) At the time of filling online option form the candidates shall be present at their own cost with original documents along with a crossed postal order or Bank Draft for Rs. 350.00 (Rs. Three Hundred Fifty only) Payable in the name of Director, State Council of Educational Research and Training, Raipur at the prescribed centre, Initial scrutiny of the documents will be done at the centres.

(c) The information regarding online filling of forms and the list of centres, will be published in two leading newspapers of the state and on the website of SCERT, Chhattisgarh.

(d) Applicants should opt for only those colleges where they seek admission.

(e) The allotment of colleges to the candidates will be done by the Director on the basis of online option, (preference given to the colleges), merit number in the Pre. BEd. Test and the availability of seats.

(f) The list of seat allotment will be available on SCERT website and at the centres where the candidate has filled option forms. No postal communication will be sent to candidates regarding the allotment of seats.

(g) After the online allotment the candidate is expected to take admission in the allotted colleges or get the allotment cancelled before the time limit, of admission and submit a new option form at the same centre where he had filled the form earlier. The candidate shall deposit the prescribed amount for the second time, failing which his college allotment will be authomatically cancelled and such candidate will not be considered for further proceedings. Seats will be allotted to such candidates in the subsequent (next) list. Candidates will be given only one extra opportunity for refilling option forms.

(h) The college will give admission after the scrutiny of original documents. If there is any discrepancy in the original documents, admission will be cancelled. In case of any dispute regarding online allotment the decision of the Director shall be final and binding.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAND KUMAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.